लोक अदालत शिविर में मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि छात्रों ने की प्रतिभागिता

* राजस्थान दर्शन |

चित्तौड़गढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़ और सिविल न्यायालय गंगरार में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। विद्यार्थियों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निपटाए जाने वाले मामलों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही लोक अदालतों से सम्बन्धित विधिक प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। लोक अदालत के उद्देश्य ''लोक अदालतः ना जीत ना हार'' की उक्ति के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालतों के महत्व और लाभ के बारे में बताया गया। इस लोक अदालत शिविर में राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य व केंद्र सरकार के विभागों, निजी वित्तीय

संस्थानों, और निजी बैंकों से संबंधित कई मामलों के पक्षकारों में राजीनामा, क्षतिपूर्ति, पुराने ऋण विवादों, बिजली-पानी और टेलिफोन के बकाया भुगतानों से सम्बन्धित मामलों में समझौते की कार्यवाही कर लम्बित प्रकरणों का निपटान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित, सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु कुमार एवं अन्य न्यायिक अधिकारीयों व कर्म चारियों के साथ-साथ मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोलंकी, सहायक प्रोफेसर लवीना चपलोत, सुप्रिया चैधरी सहित विधि विभाग के विद्यार्थी मौजूद रहे।

किया जा रहा है।

लोक अदालत शिविर में मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि छात्रों ने की प्रतिभागिता

जयपुर मिड-डे टाईम्स

चित्तौड़गढ़/गंगरार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़ और सिविल न्यायालय गंगरार में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। विद्यार्थियों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निपटाए जाने वाले मामलों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही लोक अदालतों से सम्बन्धित विधिक प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। लोक अदालत के उद्देश्य ह्यह्यलोक अदालतः ना जीत ना हारह्यह्य की उक्ति के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालतों के महत्व और लाभ के बारे में बताया गया। इस लोक अदालत शिविर में राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य व केंद्र सरकार के विभागों, निजी वित्तीय संस्थानों, और निजी बैंकों से संबंधित कई मामलों के पक्षकारों में राजीनामा, क्षतिपूर्ति, पुराने ऋण विवादों, बिजली-पानी और टेलिफोन के बकाया भुगतानों से सम्बन्धित मामलों में समझौते की कार्यवाही कर लम्बित प्रकरणों का निपटान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित, सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु कुमार एवं अन्य न्यायिक अधिकारीयों व कर्मचारियों के साथ-साथ मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोलंकी, सहायक प्रोफेसर लवीना चपलोत, सुप्रिया चैधरी सहित विधि विभाग के विद्यार्थी मौजूद रहे।

लोक अदालत शिविर में मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि छात्रों ने की प्रतिभागिता

चमकता राजस्थान

चित्तौड़गढ़/गंगरार(अमित कुमार चेचानी)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़ और सिविल न्यायालय गंगरार में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। विद्यार्थियों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निपटाए जाने वाले मामलों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही लोक अदालतों से सम्बन्धित विधिक प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। लोक अदालत के उद्देश्य ''लोक अदालत: ना जीत ना हार'' की उक्ति के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालतों के महत्व और लाभ के बारे में बताया गया। इस लोक अदालत शिविर में राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य व केंद्र सरकार के विभागों, निजी वित्तीय संस्थानों, और निजी बैंकों से संबंधित कई मामलों के पक्षकारों में राजीनामा, क्षतिपूर्ति, पुराने ऋण विवादों, बिजली-पानी और टेलिफोन के बकाया भुगतानों से सम्बन्धित मामलों में समझौते की कार्यवाही कर लम्बित प्रकरणों का निपटान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित, सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु कुमार एवं अन्य न्यायिक अधिकारीयों व कर्मचारियों के साथ-साथ मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोलंकी, सहायक प्रोफेसर लवीना चपलोत, सुप्रिया चैधरी सहित विधि विभाग के विद्यार्थी मौजूद रहे।